खंड-४ संख्या-२४

# बिहार विधान-सभा सचिवालय

( भाग—२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित )

सोमवार तिथि ३१ जुलाई, १९७८ ई०

विषय सूची ।


| शून्यकाल की चर्चाएँ | पृष्ठ |
| --- | --- |
| 'अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संकट के संबंध में ... .. | १-११ |
| सीतामढ़ी जिला के बाढ़-ग्रस्त इलाके में हैजे से बचाने की व्यवस्था । | ११ |
| अभियंताओं द्वारा काम बन्द अभियान चलाया जाना ... | ११ |
| श्री अरूण रंजन पत्रकार की सेवा मुक्ति ... ... | ११-१२ |
| बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में रिलीफ ... ... ... ... | १२ |
| श्री इसी-दौर मिज अंचल निरीक्षक की प्रोन्नति — | १२ |
| क्रिकेट मैच को पटना में नहीं करके पर असंतोष ... | १३ |
| सहरसा जिला के बाढ़ ग्रस्त इलाके में साहाय्य कार्य | १३ |
| कोयल-कारो परियोजना को केन्द्र सरकार को देने से निराशा । | १३ |

सभा के सुरक्षा पदाधिकारी ने तुरत अपनी हिरासत में ले लिया है, सदन के अवमान करने के दोषी हैं।

सभा यह भी संकल्प करती है कि उक्त दोनों व्यक्तियों को उपर्युक्त अपराध के लिये आगामी १० अगस्त, १९७८ को ६ बजे अपराह्न तक के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाय तथा उन्हें यह सजा भुगतने के लिये आज ही बांकीपुर केन्द्रीय कारा, पटना में भेज दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*श्री राज कुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, जो पर्चे फेके गये हैं, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं, उसमें करीब ८ मंत्रियों के नाम भी दिये गये हैं, इस पर भी सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिये।

श्री तेज नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, यह सब बात कब होती है, जब प्रान्त और देश में विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और असंतोष की ज्वाला फूटने लग जाती है, तभी इस तरह की बातें होती हैं।

श्री वैद्यनाथ मेहता—यह बात नहीं है।

---

## विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

### (क) बिहार विधान परिषद् के उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित बंगाल नौघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७

श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोआयन्ट आफ आर्डर है। मेरा कहना है कि यह विधेयक विधान परिषद् से यथापारित यहाँ लाया गया है। दोनों सदन का स्वतंत्र अधिकार है और अध्यादेश को जब विधेयक के रूप में लाया जाय तो इसके लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिये जब दोनों सदन का अपना अलग-अलग अधिकार है तो यह यहां स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो। इस सदन का अधिकार है कि प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति करे या अस्वीकृत कर दे इसलिये मैंने इसपर विचार का प्रस्ताव दिया है। इस आर्टिकल के अनुसार हम ऐग्री भी कर सकते हैं और डिस-ऐग्री भी कर

सकते हैं। आप कहेंगे कि विधान-परिषद् में इसपर सहमति हो गयी है। हमारा कहना है कि तमाम ओडिनेन्स को विधान-सभा द्वारा ठुकरा दिया जा सकता है, विधान-परिषद् में यह विधेयक पारित हो जाता है तो विधान-सभा इस आडिनेन्स की अस्वीकृति के अधिकार से वंचित रह जाता है। हेगडे साहेब जो लोक सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोक सभा में कहा है कि राज्य सभा में जो निर्णय होगा, उसको हम मानेंगे लेकिन लोकसभा की अलग शक्ति है, उसी तरह विधान-सभा की अपनी अलग शक्ति है और उस नियम के मुताबिक विधान-सभा चल रही है। परिपाटी के अनुसार यहाँ पर अध्यादेश की अस्वीकृति का प्रस्ताव करने की अनुमति हमलोगों को मिलती है, उसी के अनुसार हमने आपके कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष— माननीय सदस्य, श्री अम्बिका प्रसाद जी, मैंने इस आसन से पहले भी इस बात की चर्चा की है और आज जो व्यवस्था के प्रश्न की चर्चा आप कर रहे हैं, उसपर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में नियम और परिपाटी दोनों समानान्तर रूप से चलते हैं और जहाँ तक मुझे स्मरण है कौन्सिल से जो विधेयक आता है उसपर अस्वीकृति का प्रस्ताव हमलोग अध्यादेश पर नहीं लेते है, विधान-सभा सचिवालय में उसपर प्रस्ताव नहीं लिया जाता है। दूसरी बात आपने कही फन्डामेंटल राइट की तो उसके संबंध में मुझे कहना है कि अध्यादेश जब प्रख्यापित होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के अनुसार विधान-सभा का ऐप्रूभल होगा लेकिन वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि ऐज ऐग्रीड टू बाई दि कौंसिल, हम अभी परिपाटी के सवाल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि-हम डिस ऐग्री करेंगे तो वे ऐग्री करेंगे और वे ऐग्री करेंगे तो कौन चीज को ऐग्री करेंगे ? जब हमने डिस-ऐग्री कर दिया तो किस चीज को वे ऐग्री करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ परिपाटी रही है कि दोनों सदनों में अध्यादेश किये जाते हैं, यदि कौंसिल उसे पारित कर देता है और उसके बाद हमारे यहाँ आता है तो विचार का ही प्रस्ताव आता है। इस परिपाटी के रहते हुए इसके विपरीत यहाँ पर कोई नियम नहीं होगा। यदि कोई दूसरी परिपाटी की तरह आप हमारा ध्यान आकृष्ट करायेंगे तो हम उसपर विचार करेंगे, लेकिन वहाँ से प्रस्ताव पारित होकर आता है तो अभीतक हमलोग यहाँ विचार का ही प्रस्ताव लेते हैं।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—यह परिपाटी गलत है और परिपाटी नियम के परे होनी चाहिए जब नहीं स्पष्ट नियम है तो कोई परिपाटी नहीं बननी चाहिए।

**उपाध्यक्ष**—हम आपका दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं। आप नियम का दरवाजा बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा लीजिए। हमने कहा कि अभी हम परिपाटी के मुताबिक चल रहे हैं, इसके विपरीत कोई सबूत आप पेश करेंगे तो ज्युरिसप्रूडेन्स में है कि दो गलती आपने की है तो तीसरी गलती करके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यह हो सकता है लेकिन अभी तक जो परम्परा है उसपर हम चल रहे हैं।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—मेरी जानकारी है लोक-सभा में इसपर रुलिंग हो गयी है और अन्य राज्यों में इस नियम पर अनुपालन कैसे होता है, इसको भी आप देख लीजिए।

**उपाध्यक्ष**—इसको आप दिखा दीजिएगा।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है जो विधेयक विधान-परिषद् में उद्भूत होता है और वहाँ से पारित होकर आता है, उसमें उद्देश्य तथा हेतु छपा नहीं रहता है। मेरा अनुरोध है कि उद्देश्य और हेतु इसमें छपा रहना चाहिए।

**उपाध्यक्ष**—यह विधेयक मूल रूप में वितरित हो चुका है, उसमें यह है।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—इसमें उद्देश्य और हेतु नहीं रहने से हमलोगों को कठिनाई होती है। दस लाइन का तो उद्देश्य और हेतु होता है। विधान-परिषद् द्वारा पारित विधेयक में भी उद्देश्य और हेतु रहे, ऐसा हमलोग चाहते हैं। आपने कहा कि मुल विधेयक यहाँ परिचारित हो चुका है तो यह कब परिचारित हुआ है? अभी परिषद् द्वारा यथा-पारित वितरित हुआ है और उसमें उद्देश्य और हेतु नहीं है।

**उपाध्यक्ष**—परिपाटी यही रही है कि जो विधेयक परिषद् से पारित होकर आता है, उसमें उद्देश्य और हेतु नहीं रहता है। अब इसे यहीं समाप्त करें और विधेयक को आगे बढ़ने दें।

श्री अम्बिका प्रसाद—बंगाल नौघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७ इसमें लिखा हुआ है........

उपाध्यक्ष—इसके आगे है "परिषद् द्वारा यथा पारित"

श्री अम्बिका प्रसाद—वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें उद्देश्य और हेतु होना चाहिए।

उपाध्यक्ष—आप अपनी बात पर बहस कर रहे हैं। अपनी बात को तोड़-मरोड़ कर न रखें। इसमें साफ लिखा हुआ है—"विधान-परिषद् द्वारा यथा पारित"।

श्री अम्बिका प्रसाद—वह तो ठीक है लेकिन मेरा अनुरोध है कि वहाँ से पारित होने पर भी उसमें उद्देश्य और हेतु छपा कर हमलोगों को दीजिए।

श्री तेज नारायण झा—माननीय सदस्य का कहना है कि सदन के सारे माननीय सदस्य कानूनविद तो हैं नहीं, सब स्पेशलिस्ट तो हैं नहीं, यदि उद्देश्य और हेतु स्पष्ट रूप से रहेगा तो उसके ऊपर विचार करने में सुविधा होती, इसलिए अगर कोई कानूनी बाधा न हो, कोई टेकनीकल अड़चन न हो तो इसमें उद्देश्य और हेतु छपकर आ जाय तो इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष—जब अध्यादेश छपकर आता है तो उसके बाद उसपर बिल आता है।

श्री कृष्ण कांत सिंह—जो मूल विधेयक वहां प्रस्तुत हुआ उसको भी यहाँ सरकुलेट करा दीजिए तो इस समस्या का हल निकल जायगा।

उपाध्यक्ष—वह यहाँ पर वितरित हो चुका है।

श्री अम्बिका प्रसाद—कब वितरित हुआ है।

(जवाब नहीं मिला)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित बंगाल नौघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर विचार हो।"

श्री अम्बिका प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित बंगाल नौघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७ एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर दें।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री को कुछ अपनी बातें रखनी चाहिये थी। पता नहीं कि माननीय मंत्री ने अपनी बातें इस सन्दर्भ में क्यों नहीं रखी कि वे क्यों इसको पास कराना चाहते हैं मंत्री महोदय ने इसको पेश जरूर किया लेकिन इसपर उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। जहां तक इस बिल का उद्देश्य और हेतु है उसमें घाट के निलामी की जो प्रथा है विभागीय निलामी की उसको वे कुछ माने में सामाप्त करना चाहते हैं। कुछ माने में राज्य सरकार से केन्द्र सरकार घाट ले ले राज्य सरकार से निगम ले ले या उपक्रम से कोई घाट ले ले तो विना निलामी के भी हो सकता है। इसी चीज को करने के लिए इनको अध्यादेश करने की आवश्यकता पड़ी है उपाध्यक्ष महोदय कहलगांव में भारत सरकार का जल परिवहन निदेशालय जल परिवहन के विकास के लिये जो घाट चलाना चाहती है तो बिहार के अन्दर और जगह में भी जल परिवहन का विकास होना चाहिये। बिहार में जल विकास परिवहन की आवश्यकता है। तो मेरा कहना है जब वह कहलगांव और काढ़ागोला में घाट चलाती है तो उसे यह भी देखना चाहिये कि उसके एप्रोच रोड की क्या दशा है। इस कानून के मुताबिक घाटों के चलने से जितनी आमदनी बढ़ेगी उससे बिहार सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। सरकार घाटों की बन्दोवस्त तो कर देगी लेकिन सड़क नहीं देगी या एप्रोच रोड नहीं बनायगी तो लोगों को दिक्कत भी होगी और इससे आवागमन में कठिनाई होने से आमदनी पर भी असर पड़ेगा। इसलिये एप्रोच रोड देना आवश्यक है। इसके अलावे काढ़ागोला घाट पर जो परिवहन निगम की ओर से जहाज चलाया जाता है उससे लोगों की फसल वर्वाद होती है किन्तु उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती है। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिये संयुक्त समिति में इसको भेजा जाय तो वहां इसको हमलोग देखेंगे। काढ़ागोला सड़क की हालत को डा० जगन्नाथ मिश्र ने भी देखा था जब वे मुख्य मंत्री थे उस सड़क को ठीक किया जाय। इसके अलावे विक्रमशीला बटेश्वर में घाट खोले गये हैं वहां महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय और शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिससे महिला यात्रियों

को बहुत कष्ट होता है । सरकार पैसे के लिये घाट तो खोलती है लेकिन लोगों की सुविधा का ख्याल नहीं रखती । इसके अलावे घाट में काम करनेवाले जो कर्मचारी हैं उनके रहने आदी की भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती जिससे उनको दिक्कत होती है । तो इन सब बातों पर सांगोपांग विचार करने हेतु इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये ।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव को वे वापस ले लें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही साधारण संशोधन किया है । यह संशोधन १९७६ से आर्डीनेन्स के जरिये लागू है । इसको हम सिर्फ विधेयक का रूप देने जा रहे हैं । १९७६ से इसमें ऐसा था कि जो भी पावर फेरी चलाना चाहता था उसको डी० एम० औक्शन करके हाइयेस्ट बीडर को देता था । किसी केस में हाइयेस्ट से कम बीडर को भी देता था । लेकिन अब चुँकि भारत सरकार उसे खुद चलाना चाहती है इसलिये इसमें कठिनाई होगी । बीडर के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है । भारत सरकार के जलपरिवहन निदेशालय ने बिहार सरकार से आग्रह किया कि वे पावर फेरी चलाना चाहते हैं । लेकिन पब्लिक कम्पीटीशन में जाना उनके लिये सम्भव नहीं है कि औक्शन में भाग लें तथा उसमें स्टैन्ड करके चलावें । सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में जितनी नदियाँ हैं और जितनी उनकी क्षमता है उनके अनुरूप जल परिवहन नहीं है, उसके विकास की आवश्यकता है । प्राइवेट जो चलाना चाहते हैं उनके लिये कोई कमी है, ऐसी बात नहीं है, उनके लिये भी स्कोप है और सरकार के लिये भी है । इसलिये मैंने भारत सरकार के जल परिवहन निदेशालय को स्वीकृति दी । इस सशोधन को करके वे भी अपनी सेवा को चला सकते हैं और उन्होंने चलाया भी है । हमारे परमीशन देने के बाद दो सेवायें उनकी चलती हैं—एक कहलगाँव से काढ़ा गोला और दूसरा कहलगाँव से तिल गंगा । इससे लोगों को राहत मिलती है ।

माननीय सदस्य ने एप्रोच रोड के बारे में कहा कि नहीं बनता है, तो ऐसी बात नहीं है । एप्रोच रोड हमलोग बनाते हैं । लेकिन नदी की जो अनिश्चितता है कि तुरत कहीं कटाव हो जाता है तो एक रोज, दो रोज में एप्रोच रोड कैसे बन सकता है । लेकिन बिहार सरकार प्रावधान करती है । परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग से आग्रह करता है तथा फण्ड देता है कि सड़क बना दीजिये और

बनता भी है। अगर माननीय सदस्य को कहीं कोई कठिनाई हुई होगी तो माननीय सदस्य मुझे बतलावें तो मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा। अब मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इसको पास होने दें और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। बिहार सरकार खुद ऐसे बहुत-से पावर फेरी चालू करने जा रही है ताकि जल का पूरा लाभ मिल सके और पूर्व की सरकार ने जो अभी तक नहीं किया उसको हम कर दें। मैं माननीय सदस्य से पुनः आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—एप्रोच रोड के बारे में तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, लेकिन महिला के लिये शौचालय एवं प्रतीक्षालय के बारे में कुछ नहीं कहा।

**श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल**—मैं भारत सरकार के जल परिवहन निदेशालय को माननीय सदस्य की ओर अनुशंसा कर दूंगा, और अपनी ओर से भी वहां शौचालय और प्रतीक्षालय बनना चाहिए।

**श्री अम्बिका प्रसाद**—मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

**उपाध्यक्ष**—सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।

**उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि :—

बिहार विधान परिषद् में अद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित बंगाल नौघाट ( संशोधन ) विधेयक १९७७ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष**—खंडशः विचार।

**श्रीमती कृष्णा शाही**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

विधेयक के खंड—२ के अधीन प्रस्तावित परन्तुक की पंक्ति—२ में शब्द " निकाय " के बाद शब्द " या संस्थान या न्यास " जोड़े जांय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने जो संशोधन दिया है वह विभाग और सरकार के लाभ के लिये ही दिया है। शायद मंत्री महोदय की आंख इस ओर से ओझल हो गयी है। इन्होंने जो प्रावधान किया है कि जो पबलिक अन्डरटेकिंग है या कॉरपोरेशन है उसी के हाथ आप बन्दोबस्त करेंगे। इसमें अगर आप पब्लिक ट्रस्ट

या इन्सटिच्यूसन को जोड़ देते हैं तो अगर वह वन्दोवस्त लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इस तरह के वहुत इन्सटिच्यूसन हैं जैसे जयप्रभा इंस्टिच्यूशन इस तरह के जो इंस्टिट्यूशन हैं, अगर लेना चाहेंगे तो उन्हें भी मिलेगा। इससे ट्रस्ट को भी वेनिफिट होगा और इंस्टिच्यूट को भी वेनिफिट होगा। इसलिये मैं अनुरोध करती हूं कि इस संशोधन को मान लिया जाय।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्या ने जो तर्क किया है मैं समझता हूं कि उनकी मन्सा की पूर्तियों भी हो जाती है कि जितने ननगवर्नमेंटल एजेन्सीज हैं उनके लिये रोक नहीं है। जो मौलिक कानून है उसको धारा ९ के अन्तर्गत पवलिक औकशन के जरिये उसको डाक बोलने की छूट है। भारत सरकार या विहार सरकार के निकाय के लिये छूट है कि उनको निलामी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े और उनको एलौट कर सके ताकि जल परिवहन का विकास हो सके। इसलिये मैं माननीय सदस्या से आग्रह करता हूं कि अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लें।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्या, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगी ?

श्रीमती कृष्णा साही—नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड—२ के अधीन प्रस्तावित परन्तुक की पंक्ति—२ में शब्द "निकाय" के बाद शब्द "या संस्थान या न्यास" जोड़े जांय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री तेजनारायण झा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड—२ के अधीन प्रस्तावित परन्तुक की पंक्ति—२ में शब्द "निकाय" के बाद शब्द "जिसमें राज्य या केन्द्रीय सरकार का ही शेयर है" जोड़ा जाय।

उपाध्यक्ष—यह रिडनडेन्ट है। परन्तुक में भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम लिखा हुआ है।

श्री तेजनारायण झा—यह निकाय सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट निकाय भी हो सकता है। अगर सरकार कह दे कि सरकारी निकाय ही है तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—निश्चित रूप से सरकारी निकाय है।

उपाध्यक्ष—यह रिडनडेन्ट है। इसको अस्वीकृत कर दिया है।

श्रीमती कृष्णा साही—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

विधेयक के खंड—२ के अधीन प्रस्तावित परन्तुक की पंक्ति—६ में शब्द "राज्य सरकार" के बाद शब्द "समय-समय पर" जोड़े जांय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से बहुत बड़ा अधिकार सरकार को देना चाहती हूं। आपने जो लिखा है उसमें जोड़ दिया है कि राज्य सरकार के बाद समय-समय पर निश्चिय करे। हमारा संशोधन है कि समय-समय पर जो भी डिटरमिनेसन करें उसमें जोड़ दिया जाय।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की जो भावना है उसको मैं दाद देता हूं। साथ-ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो बात ये चाहती हैं वह उसमें खुद लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित संशोधन विधेयक में है उसी से काम चल जायेगा। राज्य सरकार जो निबंधन की शर्तों को तय करेगी वह सदा के लिये नहीं, समय-समय पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यह राज्य सरकार को अधिकार है इसलिये इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही—आप दिल से तो मान रहे हैं लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—इसकी आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्या, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगी।

श्रीमती कृष्णा साही—नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड—२ के अधीन प्रस्ताविक परन्तुक की पंक्ति—६ में शब्द "राज्य सरकार" के बाद शब्द "समय-समय पर" जोड़े जांय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड—२ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड—२ विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

" खंड—३ विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड—३ इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड—१ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड—१ विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना ' इस विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'प्रस्तावना' विधेयक का अंग बनी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

' नाम ' इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम विधेयक का अंग बना।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार विधान परिषद् में अद्भुत तथा उसके द्वारा यथापारित बंगाल नोघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७ स्वीकृत हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार विधान परिषद् में उद्भुत तथा उसके द्वारा यथापारित बंगाल नोघाट (संशोधन) विधेयक, १९७७ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजो सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ बोलना चाहता था।

उपाध्यक्ष—आपको बोलने का समय दिया गया लेकिन आप बोले नहीं और अब कहते हैं कि पक्ष में बहुमत है।

श्री अम्बिका प्रसाद—हमने टाइमली कहा कि 'ना' के पक्ष में बहुमत है।

उपाध्यक्ष—हमारे कान में बात आती तब न ?

श्री राजो सिंह—हमलोगों को समय नहीं दिया और जबरदस्ती बातें हो रही हैं। पुट कर दीजिये हमलोग स्वीकृति दे देंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—आपके नेता बोलते तब न। आपके नेता ने वहाँ कमिटमेंट किया है। आपके नेता रहते हैं, हम तो रहते भी नहीं हैं।

श्री रघुनाथ झा—कमिटमेंट हुआ है उसको हम नहीं पालन करते तब न ? हमलोगों को बोलने का तो समय दिया जाता।

उपाध्यक्ष—३५, ३५ क्लौज का तो हो गया और २ क्लौज में आप अड़ंगा लगा रहे हैं।

श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, आपका कहना ठीक है। ६२-६२ क्लौज का बिल है। एक-एक मिनट तो बोलने के लिए समय देना चाहिए।

श्री राजो सिंह—उनको पुट करने के लिये कहिये हमलोग 'हाँ' कर देंगे।

---

## (ख) बिहार विधान परिषद् में उद्‌भूत तथा उसके द्वारा यथापारित झरिया जल-आपूर्त्ति (संशोधन) विधेयक, १९७७

*श्रीमती सुमित्रा देवी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"बिहार विधान परिषद् में उद्‌भूत तथा उसके द्वारा यथापारित झरिया जल-आपूर्त्ति (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर विचार हो"।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, कार्यमंत्रणा समिति इसकी जांच करे या नहीं करे, लेकिन यदि सदन महसूस करता है कि किसी विषय पर